20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA FIVE RUPEES

(22)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल,मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक /2019 निगरानी/ जिला ग्वालियर

निगरानी-0617/2019/ग्वालियर/भू०रा०

रमेश जाट पुत्र श्री उत्तम सिंह जाति जाट ठाकुर आयु– 59 वर्ष, निवासी– ग्राम लीटापुरा तहसील डबरा जिला– ग्वालियर म0प्र0

.......निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्रीतमकौर पत्नी स्व. श्री हजारा सिंह निवासी– ग्राम अमरपुरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर
2. दलबीर कौर पत्नी स्व. श्री बल्देव सिंह
3. हीरा सिंह पुत्र स्व. श्री बल्देव सिंह,
4. बूटा सिह पुत्र स्व. श्री बल्देव सिंह निवासीगण–समस्त 2 लगायत 4, ग्राम लीटापुरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
5. जिन्दर कौर पुत्री स्व. श्री बल्देव सिंह
6. धीरो कौर पुत्री स्व. श्री बल्देव सिंह
7. कमला पुत्री स्व. श्री बल्देव सिंह
8. धन्तो पुत्री स्व. श्री बल्देव सिंह निवासीगण समस्त 5 लगायत 8 – ग्राम लीटापुरा तहसील डबरा व जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रत्यार्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि0 16-5-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-6-19 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-5-19 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 06.02.2019 जोकि अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग जिला ग्वालियर म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 395/09–10/ अपील, वउनवान रमेश जाट बनाम प्रीतमकौर मे पारित किया गया, जिसके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डबरा के प्र.क. 96/2000–2001/ अपील वउनमान दलबीर कौर आदि बनाम प्रीतम कौर मे पारित आदेश दिनांक 19.10.2009 को यथावत रखा गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 0617/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-6-2019	आवेदक की ओर से श्री लक्ष्येन्द्र, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हो । अध्यक्ष	